[श्रीमती वीणा वर्मा]

ने इसे 1930 में लागू किया। 1949 में, फिर 1978 में इसमें संशोधन करके लड़के की विवाह योग्य आयु 21 वर्ष व लड़की की विवाह योग्य आयु 18 वर्ष तय की गयी थी। अधिनियम की धारा 4, 5, 6, में बाल विवाह करवाने वाले को सजा तीन महीने का कारावास और जुर्माना तय किया जाता था। लेकिन इसके अनुसार बाल विवाह तभी अपराध माना जा सकता है जब विवाह हो चुका हो।

बाल विवाह निरोधक कानून की धारा 12 के तहत आदेश का उल्लंघन करने वाले को तीन महीने के कारावास का प्रावधान है। पर इसके लिये जरूरी है शिकायत। यह शिकायत कौन करे। सरकारी नुमाइंदे भी इस कानून को लागू कराने में दिलचस्पी नहीं लेते। राजस्थान में तो ऐसे भी मंत्रीगण, विधायक है जो खुद बचपन में ब्याहे गये थे, जिनकी संताने भी बचपन में ही ब्याह दी गई।

प्रतिवर्ष आखातीज के मौके पर कानून का उल्लंघन किया जाता है। लाखों बाल विवाह कानून की नाक के नीचे कर दिये जाते हैं। एक सरकारी आंकड़े के अनुसार राजस्थान में सन् 1981 में 20 हजार, 1982 में 26 हजार, 1983 में 35 हजार 1984 में 50 हजार, 1985 में 60 हजार, 1986 में 75 हजार, व 1987 में 80 हजार बाल विवाह वर्ष भर में संपन्न हुए।

जयपुर की इंस्टीट्यूट आफ हैल्थ मैनेजमेंट रिसर्च 1986 के सर्वेक्षण के अनुसार राजस्थान में एक करोड़ 27 लाख बच्चे वर्ष भर में पैदा होते हैं इनमें 13 लाख 80 हजार बच्चे एक वर्ष भर में मर जाते हैं। इनमें 1·2 लाख, एक हजार बच्चे गांव में होते हैं और उनमें 80 प्रतिशत बच्चे विवाहित होते हैं। 65 प्रतिशत लड़कियां 18 वर्ष से कम उम्र में ब्याह दी जाती है तथा मरने वालों में 65 प्रतिशत बहुयें बाल विवाह की शिकार होती हैं।

जाहिर है यह कुप्रथा आज हमारी सरकार के सामने एक चुनौती है। अतः मैं सरकार से मांग करूंगी कि बाल विवाह को पूरी तरह बन्द करने के लिये कानून को और सख्त बनाकर उसका कड़ाई से पालन करवाया जाय। तथा आखातीज पर विवाह पर सरकारी प्रतिबंध लगाया जाये व लोगों को बाल-विवाह जैसी कुप्रथाओं के बारे में शिक्षित किया जाये। जिससे इस प्राचीन परम्परा के नाम पर इस कुप्रथा को खत्म कर पति-पत्नी के वैवाहिक जीवन को ज्यादा जिम्मेदार व सुखमय बनाया जा सके।

**Rise in the Prices of foodgrains in Bihar**

श्री चतुरानन मिश्र (बिहार) : उप सभाध्यक्ष महोदय, मैं अपने विशेष उल्लेख के जरिये बिहार में जो असाधारण तरीके से फूड ग्रेन्ज की कीमत बढ़ रही है उस ओर सरकार का ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं। अभी गेहूं की फसल का पिछले साल 170 से 180 रुपये प्राइस रहता था इस साल वह होलसेल प्राइस 220 से 230 रुपये है और रिटेल का प्राइस 260 से 300 रुपये अभी हो चुका प्रति क्विंटल के हिसाब से और एक एलार्मिंग सिच्युएशन हैज बीन क्रिएटेड। दाल का दाम पिछले साल 400 से 500 रुपये प्रति क्विंटल था और इस बार यह बाजार में 800 से 1200 रुपये है। अब इसी तरह से चावल का भी दाम हुआ। जहां तक भूसे के दाम का सवाल है जो कि पशुओं को खिलाते हैं उसका दाम पहले 25 से 30 रुपये था पिछले साल और इस बार 55 से 60 रुपये है और हमारा जो अपना एफ.सी.आई. का गोडाउन है उसमें फूडग्रेन्ज आर नाट एवेलेबल और यह जो ब्लैक मार्केटीयर्ज है उनको किसी तरह से खबर मिल गई है कि हमारे गोदाम में फूडग्रेन्ज नहीं है इसलिये उसका वह नाजायज फायदा उठा रहे हैं। मैं सरकार का ध्यान इस ओर भी आकर्षित करूं कि अभी दो महीने के बाद डेढ़ महीने के बाद फिर वहां बाढ़ आ जायेगी और अगर गोदामों में अभी हम अनाज नहीं भेज सकेंगे और लोग मर जायेंगे।

इसलिये इस ओर मैं सरकार का ध्यान आकर्षित करता हूं कि वह अविलम्ब इसके बारे में उचित कार्यवाही करे। धन्यवाद।

**Drought in Rajasthan**

डा० अबरार अहमद खान (राजस्थान) : माननीय उप सभाध्यक्ष महोदय, मैं राजस्थान

[श्री अबरार अहमद खान]

महाअकाल और भीषण अकाल की ओर आपका ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं । राजस्थान के लोग पिछले कई वर्षों से अकाल से जूझ रहे हैं लेकिन इस वर्ष जो अकाल राजस्थान में पड़ा है वह महा अकाल है, एक भीषण अकाल है । अभी काफी देर से यहां पानी की चर्चा हो रही थी और मैं यहां बैठे-बैठे यह सोच रहा था कि यहां की लोग चर्चा कर रहे लेकिन वे शायद यह नहीं जानते कि जिस्थान के अन्दर जहां पर 400 फीट गहरा खोदने के बाद भी पानी की शक्ल दिखाई नहीं देती है और जहां अकाल से बचने के लिये हैंड पम्प लगाये गये थे पानी नीचे जाने से पानी बिल्कुल गायब हो गया है और लोग बूंद-बूंद के लिये तरस रहे हैं, जहां अनाज की कमी है और जहां चारे की कमी की वजह से राजस्थान म काफी पशु धन समाप्त हो चुका है और जिन खेतों के अन्दर खेती लहराती थी उनमें आज उन पशुओं की हड्डियां और कंकाल इस अकाल की क्रूरता का गीत सुनाते हैं । माननीय उप सभाध्यक्ष महोदय, अभी कुछ अखबारों में वहां के बाड़मेर और जैसलमेर के अन्दर कुपोषण के कारण कई लोगों की मृत्यु की खबरें भी बराबर छप रही हैं । वहां जो लोग अभी उन अकालग्रस्त क्षेत्रों में रह रहे हैं उनकी आंखों में बाढ़ है, होंठो पर अकाल है और बड़ी भंयकर स्थिति से लोग गुजर रहे हैं । जिन लोगों ने वास्तव में वहां जाकर नहीं देखा है वे तो शायद कल्पना भी नहीं कर सकते कि कुदरत की इस अजात में उनकी क्या स्थिति है । मैं इस संबंध में यह अवश्य कहना चाहूंगा कि केन्द्र सरकार इससे निबटने के लिये या मदद देने के लिये पूरा प्रयास किया है । माननीय राजीव गांधी गये और उन्होंने देखा तथा काफी आर्थिक मदद भी दी, लेकिन आने वाले दो महीने इतने खतरनाक हैं कि जिनमें लोगों को जिन्दगी और मौत का सामना करना पड़ेगा । इसलिये मैं आग्रह करूंगा कि इन दो माह के अन्दर वहां जो अकालग्रस्त क्षेत्र हैं उनमें ज्यादा से ज्यादा अनाज पहुंचाया जाये और सस्ती दर पर पहुंचाइये । जिन जिन जिलों में गेहूं उपलब्ध नहीं है वहां गेहूं दिलाया जाए । चारा दूसरे प्रदेशों से वहां भेजा जाए और पानी की व्यवस्था के लिए युद्ध स्तर पर व्यवस्था की जाए । मैं तो यह कहूंगा और उसमें भी अतिशयोक्ति नहीं होगी कि इन आने वाले दो माह के लिए आर्थिक दृष्टिकोण से राजस्थान को अगर केन्द्र गोद ले ले तो कोई गलत नहीं होगा क्योंकि जिस प्रदेश में अकाल पड़ता है वहां की सरकार भी अकालग्रस्त हो जाती है, राज्य सरकार के अकालग्रस्त होने के कारण वह जो करना चाहती है वह नहीं कर पाती है और उसका नतीजा वहां के गरीब लोगों को भुगतना पड़ता है । इसलिए मेरा यह आग्रह है कि केन्द्र राजस्थान को विशेष दृष्टि से देखकर इन आने वाले दो माह के लिए वहां के लोगों को जिन्दा रखने के लिए उन गरीब अकालग्रस्त क्षेत्रों को देखने के लिए आर्थिक दृष्टि से पूरी मदद राजस्थान के लोगों को दे और राज्य सरकार पर दो माह उसको कार्यान्वित करने का काम छोड़ । मैं इसी बात को कहना चाहता हूं । धन्यवाद ।

**श्री चतुरानन मिश्र** (बिहार) : मैं भी इसका समर्थन करता हूं ।

**उपसभाध्यक्ष (श्री सत्य प्रकाश मालवीय)** : अब इस सभा की बैठक दिनांक 9 मई, 1983 को 11.00 बजे तक के लिए स्थगित की जाती है ।

The House then adjourned at fifteen minutes past six of the clock till eleven of the clock on Monday, the 9th May, 1988.

GIPM RND—M 348 RS